निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 ज्येष्ठ 1936 (श0)

(सं0 पटना 499) पटना, वृहस्पतिवार, 12 जून 2014

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

13 मई 2014

सं0 5/सह०फ०बी०–57/2014 (खंड)–1956—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक 13015/02/2012–क्रेडिट–II दिनांक 01.11.2013 एवं दिनांक 21.01.2014 से प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति तथा फसल बीमा योजना के अनुश्रवण हेतु विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की दिनांक 26.03.2014 एवं दिनांक 28.04.2014 को आयोजित बैठक एवं राज्य सरकार द्वारा संचिका संख्या–5/सह०फ०बी०–57/14 में लिये गये निर्णय के आलोक में मौसम आधारित फसलबीमा योजना (WBCIS) खरीफ–2014 मौसम में बीमा हेतु राज्य के 31 (एकतीस) जिलों में निम्नरूपेण लागू किया जाता है :–

(क) बीमित फसल – अगहनी धान एवं भदई–मकई।

(ख) बीमा कार्य हेतु चयनित बीमा कंपनियों एवं उन्हें आवंटित जिलों का विवरण :–

क्रम	बीमा कंपनी का नाम	बीमा हेतु आवंटित जिले	क्षेत्र
1	2	3	3
1	एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कंपनी ऑफ इंडिया लि०, पटना	रोहतास, पटना, नालंदा, किशनगंज, औरंगाबाद, सारण, मुंगेर, जहानाबाद, जमुई, गया, बेगूसराय, वैशाली एवं नवादा = 13 जिला	सम्पूर्ण जिला
2	चोला मंडलम	अररिया, कटिहार, गोपालगंज, पश्चिमी चम्पारण एवं कैमूर = 05 जिला	सम्पूर्ण जिला
3	बजाज एलियांज	भोजपुर, बक्सर, सिवान एवं अरवल = 04 जिला	सम्पूर्ण जिला
4	एस०बी०आई० जेनरल इंश्योरेंस लि०	सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा = 03 जिला	सम्पूर्ण जिला
5	फ्यूचर जेनरली इंडिया इंश्योरेंस लि०	समस्तीपुर, भागलपुर एवं बाँका = 03 जिला	सम्पूर्ण जिला
6	टाटा ए०आई०जी०	शेखपुरा एवं लखीसराय = 02 जिला	सम्पूर्ण जिला
7	इफको टोकियो जी०आई०सी० लि०	पूर्णिया = 01 जिला	सम्पूर्ण जिला
	कुल	31 जिला	

नोटः–(i) रोहतास, पटना, नालन्दा, किशनगंज, औरंगाबाद, सारण, मुंगेर, जहानाबाद, जमुई, गया, बेगूसराय, वैशाली, नवादा, समस्तीपुर, भागलपुर एवं बांका कुल 16 जिलों के लिए कार्यभारित बीमा कंपनी उक्त जिला में खरीफ–2013 में लागू टर्मशीट को ही खरीफ–2014 में लागू करने के निर्णय के अनुपालन में तद्नुरूप कार्यान्वित करेंगी। (अनुलग्नक–1 संलग्न)

(ii) अररिया, कटिहार, गोपालगंज, पश्चिमी चम्पारण, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, सिवान, अरवल, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, शेखपुरा, लखीसराय तथा पूर्णिया कुल 15 जिलों के लिए कार्यभारित कंपनी राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में सरकार द्वारा यथा अनुमोदित टर्मशीट (जो यथा अनुलग्नक–2 अनुशंसोपरांत अनुमोदन हेतु सम्प्रति प्रक्रियाधीन है) के अनुरूप कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगी।

(iii) उक्त 31 जिलों में गैर ऋणी कृषकों के लिए विकल्प के रूप में मोडिफायड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) भी कार्यान्वित रहेंगी, जिसका दर अनुलग्नक–3 पर संलग्न है। MNAISका कार्यान्वयन उक्त दर के अनुसार वहीं कंपनी करेगी, जिसके लिए WBCIS का जिला आवंटित है।

2. इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशिका में अंकित विहित शर्त्तो के तहत् किया जायेगा। उक्त योजना की निम्नांकित मुख्य शर्त्ते उल्लेखनीय हैं :–

(i) अगहनी धान तथा भदई मक्का दोनों फसलों हेतु बीमित राशि 22,500.00 (बाईस हजार पाँच सौ) रूपये प्रति हेक्टेयर होगी।

(ii) इस योजना के लिए चयनित दोनों फसलों हेतु प्रीमियम की दर बीमित राशि की 10.00% होगी।

(iii) उक्त प्रीमियम दर में 5.0% प्रीमियम की राशि संबंधित कृषक द्वारा वहन किया जाएगा तथा प्रीमियम की अवशेष राशि अनुदान के रूप में 50:50 के अनुपात में क्रमशः केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

(iv) बीमित राशि एवं मौसम संबंधी आँकड़ों (कार्यादेश की कंडिका–6 के अनुसार) के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि की गणना एवं भुगतान के पूर्व क्षेत्रीय पदाधिकारियों यथा संबंधित जिला के जिला सहकारिता पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के जाँच प्रतिवेदन के पश्चात् भुगतान आदि की प्रक्रिया बीमा कंपनियाँ राज्य सरकार से सहमति प्राप्त कर करेंगी। तद्नुसार दावा गणना का प्रपत्र बीमा कंपनियाँ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

(v) ऋणी कृषकों हेतु यह योजना अनिवार्य है जबकि गैर ऋणी कृषकों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। इस योजना के तहत् ऋणी कृषक से आशय उन कृषकों से है, जिनका बैंकों द्वारा साख सीमा 30 जून 2014 तक स्वीकृत कर दिया जाता है। ऋणी एवं गैर ऋणी दोनों कृषकों के लिए बीमा कराने की अवधि दिनांक 30.06.2014 तक निर्धारित की जाती है। अर्थात् ऋणी एवं गैर ऋणी दोनों कृषक अपनी फसलों का बीमा दिनांक 30.06.2014 तक निकट के केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं के माध्यम से करा सकेंगे। एतद् संबंधी घोषणा पत्र एवं प्रीमियम की राशि बीमा कंपनियों द्वारा बैंकों से दिनांक 31.07.2014 तक निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इंश्योरेंस इंटरमीडियरिज एवं बीमा कंपनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि भी गैर ऋणी कृषकों का बीमा निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत् कर सकेंगे। योजना के तहत् पैक्स कृषकों का बीमा नहीं करेंगे।

(vi) बीमा फसलों के लिए जोखिम :– इस योजना अन्तर्गत अतिवृष्टि/अनावृटि/वेमौसम वृष्टि/तापमान/धुंध/आर्द्रता के कारण फसलों के सम्भावित क्षति की भरपाई की जायेगी। इस योजना के तहत् उपर्युक्त कारणों से बीमित फसलों की क्षति होने पर कृषकों को क्षतिपूर्ति भुगतान करने का प्रावधान है। इसके लिए जोखिम, जोखिम की अवधि, देय क्षतिपूर्ति की गणना आदि की जानकारी बीमा कंपनियों द्वारा दिया जाएगा।

(vii) बैंकों द्वारा कुल जमा की गयी प्रीमियम की राशि का 4% बैंक सेवा शुल्क के रूप में संबंधित बैंकों को बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(viii) साथ ही एक एकड़ से कम भूमि वाले किसानों के फसल क्षति दावा होने पर न्यूनतम 500.00 रूपये (पाँच सौ रूपये) क्षतिपूर्ति देय होगा।

3. गैर ऋणी कृषकों की फसलों का बीमा करने से पूर्व बैंकों/जिला सहकारिता पदाधिकारी/सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ को निम्नांकित बातों का अनुपालन करना आवश्यक होगा :–

(क) कृषक का प्रस्ताव पत्र पूर्णतः भरा गया हो।

(ख) कृषक का बचत खाता बैंक में संधारित हो।

(ग) किसान के प्रस्ताव पत्र के साथ अंचल कार्यालय से निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति (राजपत्रित पदाधिकारी से) संलग्न की गई हो। एतद् संबंधी प्रमाण पत्र यदि परिवार के मुखिया के नाम से निर्गत है तो उसमें बीमित कृषक का हिस्सा स्पष्ट किया गया हो।

4. इस योजना का कार्यान्वयन कंडिका–1 के क्रमांक–2 में अंकित 7 (सात) बीमा कंपनियों के माध्यम से किया जायेगा। साथ ही योजना के कार्यान्वयन के संबंध में बीमा कम्पनियाँ समय–समय पर राज्य सरकार के परामर्श से स्पष्टीकरण निर्गत कर सकेंगी।
5. बीमा एजेंसियाँ प्रत्येक दिन का न्यूनतम–अधिकतम तापमान, R.H (Relative Humidity) एवं Rain Fallका आंकड़ा प्रतिदिन अनिवार्य रूप से E-mail के माध्यम से कृषि निदेशालय, बिहार, पटना; अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना तथा सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगी अन्यथा उक्त तिथियों से संबंधित जो भी मौसम आंकड़ा राज्य सरकार के पास अन्य किसी भी स्त्रोत से उपलब्ध होगा वही निर्विवाद रूप से बीमा कंपनियों को अनुमान्य होगा। बीमा कंपनियाँ Weather Station की परिधि को अधिकतम 15 कि॰मी॰ के दायरें में रखेंगी।
6. बीमा कंपनी द्वारा प्रदत्त उक्त मौसम आँकड़ों का विभाग द्वारा तकनीकि समिति के माध्यम से राज्य सरकार/आई॰एम॰डी॰ के स्रोतों से मिलान करके उसे Validate किया जाएगा और तद्नुसार Validated आँकड़ा ही क्षतिपूर्ति दावे की गणना हेतु मान्य होगा। इस Validation की प्रक्रिया में बीमा कंपनी भी भाग ले सकते है तथा आवश्यकतानुसार बीमा कंपनियों के अनुरोध पर भारत सरकार/आई॰एम॰डी॰ के प्रतिनिधि को भी इसमें आमंत्रित किया जा सकेगा।
7. सभी बीमा कंपनियाँ प्रीमियम अनुदान की राशि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लि.(A.I.C.) के माध्यम से प्राप्त करेंगी।
8. सभी बैंकों से कृषकों की सूची, घोषणा पत्र आदि सम्बन्धित बीमा कम्पनी को स–समय प्राप्त करना होगा।
9. सभी बीमा कंपनीके कार्यों का मूल्यांकन क्षतिपूर्ति एवं प्रीमियम अनुपात, बीमा कंपनी द्वारा समय पर क्षतिपूर्ति भुगतान, किसानों को जागरूक करना, गैर–ऋणी एवं ऋणी किसानों का अनुपात, कॉरपोरेट– सामाजिक उत्तरदायित्व प्रभाव एवं भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के आधार पर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बीमा कार्य के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न आकस्मिक/महत्वपूर्ण/प्रासंगिक बिन्दुओं को भी इस मूल्यांकन में शामिल किया जा सकता है। कम दावा राशि का होना, गैर ऋणी एवं ऋणी कृषक का अनुपात कम होना, अपूर्ण या कम सूची का होना आदि खराब प्रर्दशन का द्योतक होगा जो भविष्य में निर्णय लेने का महत्वपूर्ण आधार होगा।
10. बीमा कार्य के दौरान अधिक से अधिक कृषकों को जागरूक/शामिल करने हेतु बीमा कंपनियाँ प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करेंगी। इसके लिए स्थानीय/राज्य स्तर के समाचार पत्रों में समय–समय पर कम से कम पाँच बार विज्ञापन करना, उपयुक्त जगहों पर बड़े–बड़े कम से कम चार होर्डिंग प्रति जिला लगाना, स्थानीय बाजारों में उपयुक्त समय पर पम्पलेट बाँटना, स्थानीय केबुल द्वारा टेलीविजन पर इस बीमा योजना को कम से कम दस दिन प्रसारित करना, AIC द्वारा राज्य स्तर पर टेलीविजन से कम से कम दस दिन प्रसारित कराना इत्यादि बीमा कपनियाँ सुनिश्चित करेंगी। बीमा कंपनियाँ पहला विज्ञापन इस अधिसूचना निर्गत होने के एक सप्ताह के अंदर प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगी।
11. सभी बीमा कंपनियाँ अनिवार्य रूपसे दिनांक 31.08.2014 तक बीमित किसानों की सूची विहित प्रपत्र में (Farmer's Profile में) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी तथा उसे अपने वेबसाईट पर भी लोड करेंगी। इसके लिए सभी बीमा कंपनियाँ अपना–अपना वेबसाईट तैयार कर लेंगी एवं उसका लिंक विभाग को भी उपलब्ध करायेंगी। इसके अतिरिक्त बीमा कंपनियों को बीमित किसानों की सूची excel में प्रत्येक जिला के लिए एक excel sheet में सॉफ्ट कॉपी तथा बीमित किसानों के फोटो, अन्य प्रमाणक इत्यादि की pdf में सॉफ्ट कॉपी की सी॰डी॰ भी विभाग को उपलब्ध कराना होगा। बीमा कंपनियाँ पिछले मौसम के डाटा को बेस–डाटा की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। इस बेस–डाटा में बीमा कंपनियाँ आवश्यक संशोधन कर सकती हैं। परन्तु इसके पूर्व खरीफ 2013 एवं रबी 2013–14 मौसम में बीमा कंपनियों द्वारा जो डाटा On-Line किया गया है उसका Back upअपने पास संधारित रखना होगा एवं उक्त Back up की एक सॉफ्ट कॉपी विभाग को भी देनी होगी।
12. बीमा कंपनी द्वारा दावा की गई राज्यांश राशि की विमुक्ति निम्नलिखित शर्तों के साथ की जाएगीः–

(i) किसानों के बीमा करने के दो माह के अंदर सभी संबंधित बीमा कंपनी द्वारा संबंधित सभी बीमित किसानों की सूची की प्रविष्टि विहित प्रपत्र में सॉफ्टवेयर के माध्यम से On-Line करना होगा तथा सूची की Soft Copy एवं अग्रसारण पत्र की Hard Copy एवं Soft Copy दानों विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

(ii) बीमा कंपनी द्वारा अपने स्तर से पूरी जाँच कर एवं पूर्ण आश्वस्त होकर ही बीमित किसानों की सूची प्रेषित की जायेगी और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर उन्हें जिम्मेवार माना जायेगा और तद्नुसार कार्रवाई की जाएगी।

(iii) उपरोक्त कंडिका–(i) एवं (ii) के आलोक में बीमित किसानों की सूची एवं उसमें सन्निहित राशि की Soft Copy प्राप्त होने के पश्चात् ही स्वीकृत राशि का चेक बीमा कंपनी को दिया जायेगा।

(iv) लाभान्वित कृषकों अर्थात् जिन्हें क्षतिपूर्ति/बीमा दावा का भुगतान होना है, उन्हें बीमा दावा राशि का भुगतान शिविर आयोजित कर बैंक खातों (चेक) के माध्यम से करने हेतु बीमा कंपनी अपने खर्च पर सभी महत्वपूर्ण

राज्यस्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में शिविर आयोजन के कार्यक्रम के संबंध में विज्ञापन करना सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी सूचना सहकारिता विभाग को भी देंगे ताकि राज्य स्तर से भी इसका औचक निरीक्षण किया जा सके। बीमा कंपनी को प्रीमियम राशि प्राप्त होने अथवा बीमा अवधि समाप्त होने, जो भी बाद में हो के 15 दिनों के अंदर लाभान्वित कृषकों को चेक से भुगतान सुनिश्चित करना होगा। शिविर में जन प्रतिनिधियों के साथ–साथ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी जो वरीय उप समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी से न्यून न हों, की भी उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी।

(v) संबंधित बीमा कंपनी द्वारा कैम्प लगाकर लाभान्वित कृषकों के बीमा दावा राशि का चेक/खाता अंतरण से भुगतान के 15 दिनों के अन्दर इन कृषकों की फोटोयुक्त सूची एवं भुगतान की गयी राशि की संपूर्ण विवरणी की Soft Copy विभाग को देनी होगी तथा इसकी प्रविष्टि कंपनी द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर से On-Line करनी होगी। बीमा कंपनी इस निमित्त सॉफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार सुधार/प्रावधान शीघ्र कर देगें। इसके लिए बीमा कंपनी को लाभार्थियों का अपने खर्च पर फोटो खींचकर उनकी फोटोयुक्त सूची (भुगतान दावा राशि की सूचना सहित) की सॉफ्टकॉपी के साथ दावा भुगतान का अंडरटेकिंग/शपथ पत्र देना है ताकि यह सूची एवं दावा विवरणी भी विभागीय Website पर रखी जा सके।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) **499**-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in